

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान श्रवण कुमार तिवाड़ी बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना-पत्र संख्या - 544/2025
निर्णय दिनांक 23.11.25

श्रवण कुमार तिवाड़ी पुत्र हनुमान प्रसाद तिवाड़ी जाति ब्राह्मण निवासी पुनसीसर तहसील तारानगर
हाल किशनपुरा एलनाबाद हरियाणा

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु। -प्रार्थी


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट -अप्रार्थी

-:निर्णय:-

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा पुनसीसर तहसील तारानगर के खाता संख्या 417 के खसरा सं. 1254/3 तादादी 1.1886 हैक्ट, ख.नं. 1260/3 तादादी 0.0632 हैक्ट., भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसराजात रोही के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम श्रवणकुमार पुत्र हनुमाप्रसाद अंकित है जो गलत है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम श्रवण कुमार तिवाड़ी पुत्र हनुमान प्रसाद तिवाड़ी है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों यथा अंकतालिका, मतदाता पहचान पत्र में नाम श्रवण कुमार तिवाड़ी पुत्र हनुमान प्रसाद तिवाड़ी है। राजस्व रिकार्ड में भिन्न नाम होने के कारण प्रार्थी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिये प्रार्थी उक्त खसराजात की जमाबंदी में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः उक्त खसराजात कृषिभूमि में प्रार्थी का नाम श्रवणकुमार पुत्र हनुमाप्रसाद के बजाय श्रवण कुमार तिवाड़ी पुत्र हनुमान प्रसाद तिवाड़ी किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी ने श्रवणकुमार पुत्र हनुमानप्रसाद एवं श्रवण कुमार तिवाड़ी पुत्र हनुमान प्रसाद तिवाड़ी दोनो एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित पटवारी की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज अंकतालिका, मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम श्रवण कुमार तिवाड़ी पुत्र हनुमान प्रसाद तिवाड़ी पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम श्रवणकुमार पुत्र हनुमानप्रसाद अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा पुनसीसर तहसील तारानगर के खाता संख्या 417 के खसरा सं. 1254/3 तादादी 1.1886 हैक्ट, ख.नं. 1260/3 तादादी 0.0632 हैक्ट.,भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम श्रवणकुमार पुत्र हनुमानप्रसाद Delete कर इसके स्थान पर श्रवण कुमार तिवाड़ी पुत्र हनुमान प्रसाद तिवाड़ी अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.11.25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।


राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)

